31/05/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थियां स्वयं ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल दावा विड्रॉ कर लिया है। मूल दावा जरिये विड्रॉ खारिज हो चुका है। प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही।

अत: प्रार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय के द्वारा जारी अस्थायी निशेधाज्ञा आदेश दिनांक 23/07/2021 को भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब-जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर